मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 9-3/2006/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाना.

संदर्भ.—इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 9-3/2006/नियम/चार, दिनांक 17-10-2006.

संदर्भित ज्ञाप के पैरा 2 में निर्देश है कि 1-1-2005 से पूर्व राज्य शासन की नियमित सेवा में नियुक्त कर्मचारियों की अन्य सेवा में 1-1-2005 के पश्चात् की गई नियुक्ति के प्रकरणों में म. प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 लागू होंगे.

यह सुविधा अब केन्द्रीय शासन के ऐसे कर्मचारियों के लिये भी लागू होगी, जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के समान पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत थे और जो केन्द्रीय शासन में दिनांक 31-12-2003 को अथवा उसके पूर्व नियुक्त हुये हों एवं उचित माध्यम से राज्य शासन की नियमित सेवा में 1-1-2005 अथवा उसके पश्चात् आये हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एस. एन. मिश्रा)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.